"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 490] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2015—आश्विन 14, शक 1937

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-25/2009/14-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. नियम 8 के उप-नियम (एक) के खण्ड (च) का लोप किया जाये.

2. अनुसूची-एक के शीर्षक कृषि अभियांत्रिकी सेवा के अन्तर्गत, -

    (क) सरल क्रमांक 2 के कॉलम (5) में, अंक एवं चिन्ह "5200-20200/2200 के स्थान पर, अंक एवं चिन्ह "5200-20200/2400 प्रतिस्थापित किया जाये.

    (ख) सरल क्रमांक 7 के कॉलम (5) में, अंक एवं चिन्ह "5200-20200/1900 के स्थान पर, अंक एवं चिन्ह "5200-20200/2200 प्रतिस्थापित किया जाये.

3. अनुसूची-तीन के शीर्षक कृषि अभियांत्रिकी सेवा के अन्तर्गत, -

    (क) सरल क्रमांक 1 के कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

    "किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक, उपाधि."

(ख) सरल क्रमांक 11 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"11.	ऑपरेटर ग्रेड-एक	21	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डीजल मैकेनिक/ट्रेक्टर मैकेनिक ट्रेड में आई.टी.आई. तथा मोटर यान चालन का वैध लायसेंस."	

(ग) सरल क्रमांक 11 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"12.	फील्डमैन/ ऑपरेटर ग्रेड-दो	18	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डीजल मैकेनिक/ट्रेक्टर मैकेनिक ट्रेड में आई.टी.आई. तथा मोटर यान चालन का वैध लायसेंस."	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Raipur, the 6th October 2015

NOTIFICATION

No. F 1-25/2009/14-1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Sub-Ordinate Agricultural Class-III (Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2010, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. Clause (f) of sub-rule (I) of rule 8 shall be omitted.

2. Under heading Agricultural Engineering Services of Schedule-I,-

   (a) in column (5) of serial number 2, for the figures and symbols "5200-20200/2200", the figures and symbols "5200-20200/2400" shall be substituted.

   (b) in column (5) of serial number 7, for the figures and symbols "5200-20200/1900", the figures and symbols "5200-20200/2200" shall be substituted.

3. Under heading Agricultural Engineering Services of Schedule-III,-

   (a) For entry of column (5) of serial Number 1, the following shall be substituted, namely :-

   "Bachelor Degree in Agricultural Engineering from any recognized Agriculture University."

(b) For serial number 11 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"11.	Operator Grade-I	21	-do-	ITI in Diesel Mechanic/ Tractor Mechanic Trade from any recognized Institution and valid Motor Vechicle Driving License."	

(c) After serial number 11 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"12.	Field Man/Operator	18	-do-	ITI in Diesel Mechanic/ Tractor Mechanic Trade from any recognized Institution and valid Motor Vechicle Driving License."	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANUP KUMAR SHRIVASTAVA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.